[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 22/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2017

सा.का.नि......(अ)- केंद्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसचूना सं. 13/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 704(अ) दिनांक 28 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में परिषद की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी में, क्रम सं. 1 के समक्ष, कॉलम (2) में, शब्द और कोष्ठक “माल वाहक अभिकरण (जीटीए)” के पश्चात शब्द और अक्षर “, जिसने 6 प्रतिशत की दर से संघ राज्यक्षेत्र कर का भुगतान नहीं किया है,’’ अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) स्पष्टीकरण में, उपवाक्य (घ) के पाश्चात, निम्नलिखित उपवाक्य को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(ड़) लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 2008 (2009 का 6) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्मित और पंजीकृत “लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप” को एक पार्टनरशिप फर्म या फर्म माना जाएगा।” ।

[फा. सं. 354/173/2017- टीआरयू]

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:-प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं. 13/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, सा.का.नि. 704 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था।